



Neutral Citation No - 2026:AHC:24573

इलाहाबाद उच्च न्यायालय  
रिट-सी संख्या - 2026 की 4091

शर्मापति

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार  
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी को सूचना जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हो, तो आदेश के उपांतरण/परिवर्तन की प्रार्थना करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित मूल अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, औराई, जिला भदोही को यह निर्देशित किया जाए कि वे अपील संख्या 4336/2022 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202216670604336) को शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करें।
4. प्रकरण दीर्घ काल से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है और पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज पर्यन्त प्रकरण में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, औराई, जिला भदोही उपर्युक्त अपील को विधि अनुसार कड़ाई से तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बगैर शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

#### अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"